नवभारत टाइम्स
बेंगलुरु/चेन्नै समाचार

...तो साल 2025 तक 95% बेंगलुरु होगा पत्थर का शहर?

टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated:Sep 30, 2018, 04:15PM IST

SUBSCRIBE NEWSLETTER

प्रतीकात्मक तस्वीर

बेंगलुरु

बेंगलुरु में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसे देखकर पहले ही अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि भविष्य में शहर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स ने शनिवार को इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर कर दी कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो साल 2025 तक शहर का 95% हिस्सा कंक्रीट का बन जाएगा। एक्सपर्ट्स ने शहर में हरियाली कम होने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कमी और रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी के बारे में चर्चा की।

Ad: Ready Set Health
Ad: Health Sciences Institute
Recommended By Colombia

अलग-अलग रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन के कम से कम 500 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेंटर फॉर इकलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस के टीवी रामचंद्र ने बताया कि बेंगलुरु की झीलें मशरूम की तरह खड़े हो रहे अपार्टमेंट्स की वजह से सूख रही हैं। बिल्डरों और सरकार ने शहर सारी छोटी झीलों पर अतिक्रमण कर लिया है।

'बहाने बनाती है BBMP'

शहर के पर्यावरणविद समूह फ्रेंड्स ऑफ लेक्स के को-फाउंडर वी रामप्रसाद ने बताया कि झीलें कचरे का ढेर बन गई हैं क्योंकि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (**बीबीएमपी**) का कलेक्शन सिस्टम खराब है। उन्होंने कहा, 'इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो गया है लेकिन बीबीएमपी का उसकी ओर अनदेखी का रवैया डरावना है। बीबीएमपी कलेक्टर्स की कमी और खराब ऑटो टिपर्स का बहाना बनाकर अपने खराब प्रबंधन को छिपाती है।'

यह भी पढ़ें: पानी संकट: बेंगलुरु बनने जा रहा भारत का केपटाउन!

'कॉर्पोरेट्स से झीलें गोद लेने की अपील'

मल्लेस्वरम के विधायक सीएन अश्वथ नारायण ने कॉर्पोरेट्स से झीलों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज इतने सारे संगठन हैं और अगर सभी दो झीलों को गोद ले लें तो हम उन्हें फिर से जीवित कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कॉर्पोरेट्स से झीलों को संभालने की अपील की थी।

'फंसाते हैं बिल्डर और ठेकेदार'

ऐडवोकेट और रेरा एक्सपर्ट एच शारदा ने बताया कि लोग लोन लेकर हर महीने 30 हजार से लेकर 1 लाख रुपये खर्च करके यह संपत्तियां खरीदना चाहते हैं लेकिन उनमें से कई कभी इनके मालिक नहीं होते। उन्होंने कहा कि खरीददार बिल्डर और ठेकेदारों के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेरा योग्य हो तो इस धोखाधड़ी को रोका जा सकता है लेकिन इसके न होने से कई लोगों के साथ धोखा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को जागने की और एक रेरा कमिटी बनाने की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करे कि अगर बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो संपत्ति के खरीददार और मालिक को खरीद की तारीख से लेकर कॉम्पलिमेंट तक की कीमत दी जाए।